

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 859] No. 8591

नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2010/वैशाख 15, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2010/VAISAKHA 15, 1932

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2010

का.आ. 1025(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 26 नवम्बर, 2009 की सं. का.आ. 3019 (अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अन्दर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत:, अबं, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। संशोधन:

जोन "एफ" में 3468.43 वर्ग मी. (प्लॉट सं. 7) माप वाले सादिक नगर स्थित निम्निलखित क्षेत्र के भू–उपयोग को "आवासीय" से "सरकारी उपयोग" (सरकारी कार्यालय) में निम्निलखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाता है :—

स्थिति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन "एफ" में सादिक नगर	3468.43 वर्ग मी.	आवासीय	सरकारी उपयोग (सरकारी कार्यालय)	पूर्व - 45 मीटर सड़क पश्चिम - सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी एवं सी.पी.डब्ल्यू.डी. पूछताछ कार्यालय
				उत्तर - योजना क्षेत्र केन्द्र/स्थानीय विपणन (भाग)
				दक्षिण - प्रस्तावित पुलिस पोस्ट

[फा. सं. के-13011/14/2009-डीडी I बी]

यू. विश्वनाधम, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2010

- S. O. 1025(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 3019(E) dated 26th November, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said Notice.
- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area measuring 3468.43 sq. m. (Plot No. 7) located in Sadiq Nagar from 'Residential' to 'Government use' (Government Office) falling in Zone-F is changed as per description listed below:—

10 00 1111				
Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Sadiq Nagar, in Zone-F	3468.43 sq. m.	Residential	Government Use (Government Office)	 East - 45 mtr. road West - CGHS Dispensary and CPWD Inquiry Office North - Planning Area Centre/Local Shopping (Part) South - Proposed Police Post

[F. No. K-13011/14/2009-DDIB)

U. VISWANADHAM, Under Secy.